(भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं0 19/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 05 अगस्त 2017

विषयः आईटीसी (एचएस) 2017– अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 7 के तहत पिजन पीज (कजेनस केजन)/तुअर दाल की आयात नीति में संशोधन।

सा० आ०(अ०): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2017– अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 7 में निम्नानुसार संशोधन करती हैः–

एक्जिम कोड	मद का विवरण	मौजूदा नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित आयात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
0713 60 00	पिजन पीज (कजेनस केजन)/ तुअर दाल	मुक्त	....	प्रतिबंधित	इस अध्याय के नीतिगत शर्त 2 के अधीन
0713 90	अन्य				
0713 90 10	टुकडों में	मुक्त	....	मुक्त, पिजन पीज (कजेनस केजन)/ तुअर दाल, जो प्रतिबंधित है को छोड़कर	पिजन पीज का आयात इस अध्याय के नीतिगत शर्त 2 के अधीन है
0713 90 90	अन्य	मुक्त	....	मुक्त, पिजन पीज (कजेनस केजन)/ तुअर दाल, जो प्रतिबंधित है को छोड़कर	पिजन पीज का आयात इस अध्याय के नीतिगत शर्त 2 के अधीन है

नीतिगत शर्त 2: आयात अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार 2 लाख मी. टन के वार्षिक (राजकोषीय वर्ष) कोटे के अधीन होगा। यह प्रतिबंध किसी द्विपक्षीय/क्षेत्रीय समझौता/समझौता ज्ञापन के तहत सरकार की आयात संबंधी प्रतिबद्धताओं पर लागू नहीं होगा।

2. **इस अधिसूचना का प्रभावः** एक्जिम कोडः 0713 60 00, 0713 90 10 और 0713 90 90 के तहत पिजन पीज (कजेनस केजन)/तुअर दाल की आयात नीति को 'मुक्त' से संशोधित कर 'प्रतिबन्ध' किया जाता है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः– dgft@nic.in

(फा० सं०. एम–5012/300/2002–पीसी–2 (ए) से जारी)